पत्रांक–07/नि०बि०–22–02/2026 1270

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, भा०प्र०से०,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA),
बिहार।

पटना, दिनांक :– 30/06/26

विषयः– **4 जुलाई 2026 को विद्यालयों में थीम "ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाएं"** के आधार पर अभिभावक– शिक्षक संगोष्ठी **आयोजित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1908 दिनांक 17.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र अंकित करना है कि विभागीय पत्रांक–1908 दिनांक 17.06.2026 द्वारा 22 से 27 जून, 2026 तक कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यालयों में स्वागत सप्ताह" (Back to School) आयोजित करने का निदेश दिया गया था। परन्तु अत्यधिक गर्मी के कारण कतिपय जिलों में अवकाश घोषित किया गया, जिस कारण 27 जून, 2026 को अभिभावक–शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो पाया।

अतः उपरोक्त के आधार पर निदेश दिया जाता है कि, वैसे जिले जो 27 जून, 2026 को स्वागत सप्ताह" (Back to School) के दौरान अभिभावक–शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन नहीं करा पायें, वे 4 जुलाई, 2026 को अभिभावक–शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

"ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाएं" थीम पर आधारित इस अभिभावक–शिक्षक संगोष्ठी (पी०टी०एम०) के माध्यम से सभी अभिभावकों को विद्यालय से बाहर (Out of School) बच्चों का पुनः नामांकन, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है। साथ हीं बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रदत्त सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय स्तर की मौलिक सुविधाओं से अभिभावकों को परिचित कराना है ताकि सभी बच्चे आत्मविश्वास के साथ नियमित रूप से विद्यालय आयें और सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो सकें।

अतः निदेश दिया जाता है कि आप अपने जिले के विद्यालयों में यह सुनिश्चित कराना चाहेंगे कि:–

(1) दिनांक 4 जुलाई 2026 को विद्यालयों में वर्ग–वार अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए।

(2) अधिक से अधिक अभिभावक, संगोष्ठी में भाग ले सकें, इस हेतु समुचित रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए।

(3) प्रधानाध्यापक, अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रदत्त योजनाओं/सुविधाओं तथा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध मौलिक सुविधाओं से अवगत कराएं।

(4) बच्चों की अकादमिक प्रगति एवं स्वास्थ्य व पोषण पर अभिभावकों से चर्चा हो तथा बच्चों को भोजन कराकर विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करें।

(5) बच्चों को नियमित रूप से, साफ–सुथरा ड्रेस में प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु शिक्षक, अभिभावकों को प्रेरित करें।

(6) राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म में प्रत्येक विद्यालय से संगोष्ठी की जानकारी उपलब्ध कराया जाए।

अभिभावक–शिक्षक संगोष्ठी को सफल बनाने हेतु विद्यालयों को आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सहयोग प्रदान करें।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः 07/नि०बि०–22–02/2026 ....1970.... पटना, दिनांक ....30/06/26....

प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः 07/नि०बि०–22–02/2026....1970.... पटना, दिनांक ....30/06/26....

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः 07/नि०बि०-22-02/2026 ....1970.... पटना, दिनांक ....30/06/26....

प्रतिलिपिः सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः 07/नि०बि०-22-02/2026 ....1970.... पटना, दिनांक ....30/06/26....

प्रतिलिपि : सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी

4 जुलाई, 2026

थीम- "ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाएं"

दिनांक: 4 जुलाई 2026

समय: विद्यालय के अनुसार

स्थान: विद्यालय परिसर

उद्देश्य:

1. **वैसे बच्चे जिनका नामांकन नहीं हो पाया हो,** जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो अथवा जिन बच ों की **उपस्थिति अनियमित हो, वैसे बच्चों की पहचान कर** उन्हें वापस विद्यालय लाने में अभिभावकों की सर्ा ाय **सहयोग प्राप्त करना।**
2. **बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएं** एवं विद्यालय स्तर की मौलिक सुविधाओं से अभिभाव कों को **परिचित कराना।**

अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी में जिला, प्रखण्ड, शिक्षक तथा अभिभावक की भूमिका:

जिला	• जिले के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों में वर्गवार PTM का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना। • PTM को जिला समीक्षा बैठक का अनिवार्य एजेंडा बनाना। • PTM के लिए मीडिया एवं जनसंपर्क गतिविधियाँ संचालित करना। • प्रखंडवार लक्ष्य एवं मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करना। • जिला स्तरीय पर्यवेक्षण दल का गठन करना (जिला स्तर के अधिकारी एवं पदाधिकारियों तथा जिला स र पर कार्य कर रहे CSOs के द्वारा PTM का निरीक्षण किया जाना) • उत्कृष्ट विद्यालयों को चिन्हित कर प्रोत्साहित करना । • कम सहभागिता वाले विद्यालयों हेतु विशेष रणनीति बनाना। • मासिक रिपोर्ट राज्य को प्रेषित करना।

प्रखंड	• विद्यालयों को PTM संचालन हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहयोग देना। • CRC के माध्यम से PTM आयोजित करने हेतु सभी विद्यालयों हेतु 80 से 90 मिनट का एकसमा रूपरेखा तैयार कराना। • PTM दिवस पर विद्यालय भ्रमण एवं अवलोकन करना तथा बेहतर PTM आयोजित करने वाले C RC को सम्मानित करना। • PTM रिपोर्ट का संकलन एवं विश्लेषण करना।
संकुल स्तर	• PTM आयोजित करने के लिए विद्यालयों को लगभग 80 से 90 मिनट का एकसमान रूपरेखा उप ब्ध करना। • CRC क्षेत्र के 2 विद्यालय में PTM विजिट करना तथा बेहतरीन PTM आयोजित करने वाले 1 वि ालय को CRC स्तर पर सम्मानित करना ।
विद्यालय स्तर (प्रधानाध्यापक)	**PTM पूर्व** 1. विद्यालय स्तरीय PTM योजना तैयार करना। 2. सभी शिक्षकों, बाल संसद, मीना मंच तथा SMC के साथ पूर्व बैठक आयोजित करना। 3. अभिभावकों को निमंत्रण देने हेतु बहु-माध्यम का उपयोग करना — o बच्चों के माध्यम से पत्र o WhatsApp संदेश o माइकिंग o टोला संपर्क o SMC, बाल संसद एवं मीना मंच का सहयोग 4. विशेष रूप से निम्न परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क करना — o अनियमित बच्चे o ड्रॉपआउट बच्चे o दिव्यांग बच्चे o कम सहभागिता वाले अभिभावक 5. विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 6. वर्गवार PTM तथा थीम आधारित गतिविधियों की तैयारी सुनिश्चित करना। 7. छात्र प्रगति रिपोर्ट तैयार करवाना। 8. विद्यालय उपलब्धियों एवं चुनौतियों की प्रस्तुति तैयार करना। **PTM दिवस** 1. अभिभावकों का स्वागत करना। 2. वर्गवार PTM तथा सभी गतिविधियों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करना। 3. बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाओं के बारे में अभिभा कों को बताना।

	4. वर्गवार एक अभिभावक को **'पैरेंट ऑफ द मंथ'** तथा एक छात्र/छात्रा को **'स्टूडेंट ऑफ द मंथ'** से सम्मानित करना। 5. तथा सुझाव एवं शिकायत पंजी संधारित करना। **PTM पश्चात** 1. उपस्थिति एवं फीडबैक रिपोर्ट को अपलोड करना। 2. अनांमानकित, ड्रॉप आउट अथवा कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों से पुनः संपर्क करना। 3. लिए गए निर्णयों की अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करना। विद्यालय सूचना पट पर आज के PTM के प्रमुख निष्कर्ष को प्रदर्शित करना।
शिक्षक	• अभिभावकों के साथ सहज वातावरण बनाना ताकि अभिभावक खुलकर बातचीत कर सकें **PTM की सामान्य बातों को साझा करना:** • प्रत्येक दिन बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना। • शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि अभिभावक घर में "पढ़ाई का कोना" निर्धारित करें तथा बच्चे प्रतिदिन 15–20 मिनट तक बोलकर पढ़ सकें। • अभिभावक प्रतिदिन अपने बच्चों से विद्यालय द्वारा प्रदत्त गृहकार्य की चर्चा कर सकें, स्कूल डायरी का अवलोकन कर सकें इस हेतु उन्हें प्रेरित करना। • बच्चों की अकादमिक प्रगति के बारे में अभिभावकों को बताना तथा बच्चों के व्यवहारगत समस्याओं पर अभिभावकों से बातचीत करना। **अभिभावकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर संकल्प दिलाना:** •हम बच्चों को नहा-धोकर, पौष्टिक भोजन कराकर साफ-सुथरे ड्रेस में प्रतिदीन विद्यालय भेजेंगे •प्रतिदीन उन्हें घर पर पढ़ने के लिए कहेंगे तथा उनकी डायरी चेक करेंगे •हम अपने बच्चों से प्यार और धैर्य से बात करेंगे **अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का समापन:** • बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को वर्गवार **'स्टूडेंट ऑफ द मंथ'** तथा विशेष सहयोग प्रदान करने वाले अभिभावकों को **'पैरेंट्स ऑफ द मंथ'** के रूप में सम्मानित करना •सभी अभिभावकों का विद्यालय आने हेतु धन्यवाद तथा पुनः संगोष्ठी में भाग लेने हेतु कहते हुए संगोष्ठी का समापन करना

अभिभावक	• बच्चे को प्रतिदिन साफ-सुथरे यूनिफ़ॉर्म में समय पर स्कूल भेजना व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित व ना। • घर पर पढ़ने का कोना बनाकर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाना तथा 1: से 20 मिनट बोल-बोलकर पढ़ने हेतु बच्चों को प्रेरित करना। • मोबाइल व टीवी का समय सीमित कर बच्चों के साथ बातचीत करना तथा अन्य रचनात्मक गतिवि यों में उन्हें संलग्न करना। • किताब कॉपी तथा विद्यालय से मिले गृहकार्यों के बारे में बच्चों से प्रतिदिन चर्चा करना। • बच्चों को पोषण युक्त भोजन कराकर विद्यालय भेजना। • सभी PTM में नियमित रूप से भाग लेना।

🎯 PTM रीपोर्टिंग हेतु गूगल लिंक:

https://docs.google.com/forms/d/1NhrpkgoG7QtIwnvYQzh6hcFjQ1Jv6b2IPA7FwCW3WFo/prev ew